

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी .....शिवपुर..... व भू अभिलेख निरीक्षक  
.....नानादा.....की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-  
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम .....गाजुणा..... पटवार हल्का .....शिवपुर.....  
तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2074-2077 में खाता संख्या  
.....5, 100..... में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर  
राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	गाजुणा	5, 100	बादर सिंह पुत्र प्रतापसिंह	बादरसिंह उर्फ बहादुरसिंह पुत्र प्रतापसिंह

प्रकार अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 23

दिनांक:- 15-12-2021

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

प्रकार अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा